रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01012022-232334 CG-DL-E-01012022-232334

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 1, 2022/पौष 11, 1943 No. 1] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 1, 2022/PAUSHA 11, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2021

का.आ. 1(अ).—केन्द्र सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतदद्वारा भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा स्थापित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) (पैन: AAATB0431G) को उक्त खंड के प्रयोजनार्थ उक्त ब्यूरो को उद्भूत होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसुचित करती है, नामत:-

- (i) प्रमाणन श्ल्क;
- (ii) मानकों की बिक्री, बशर्ते कोई लाभ अन्तर्ग्रस्त न हो; तथा
- (iii) ब्याज से आय;
- 2. यह अधिसूचना निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रभावी होगी, नामत:-
 - (क) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) कोई वाणिज्यिक कार्यकलाप नहीं करेगा;
 - (ख) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष अपरिवर्तित रहेंगी: तथा
 - (ग) भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

1 GI/2022 (1)

यह अधिसूचना निर्धारण वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा 2025-26 के लिए लागू होगी।
[अधिसूचना सं. 142/2021/फा. सं. 300196/4/2021-आ.क.नि-I]

विकास सिंह, निदेशक

व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2021

- **S.O. 1(E)**.—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, the Bureau of Indian Standards (BIS)(PAN:AAATB0431G), set up by the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) in respect of the following specified income arising to that Bureau, namely:-
 - (i) Certification fee;
 - (ii) Sale of standards, provided there is no profit involved; and
 - (iii) Income from interest;
- 2. This notification shall be effective subject to the following conditions, namely:-
 - (a) the Bureau of Indian Standards (BIS) does not engage in any commercial activity;
 - (b) the activities and the nature of the specified income of the Bureau of Indian Standards (BIS) remain unchanged throughout the financial years; and
 - (c) the Bureau of Indian Standards (BIS) files return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.
- 3. This notification shall be applicable for the Assessment Years 2021-22, 2022-23, 2023-24, 2024-25 and 2025-26.

[Notification No. 142/2021/F. No. 300196/4/2021-ITA-I]

VIKAS SINGH, Director

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.